

समय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले वार्षिक/वर्षीय प्रगति रिपोर्ट, और अनुसंधान कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु नीचे का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो नीचे की संशोधन पर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (उच्च/उच्चतर शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को संबद्ध किए जाने) विधिवत/आवसी-2020 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम द्वारा आवंटित आर्यो को ही प्रवेश दिया जाएगा। शर्तों के विषय का ज्ञान की विधिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था को उत्तर-समय पर निर्धारित वार्षिक/वर्षीय के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धत शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को (आवसी/आवसी/विद्यार्थियों) से आगामी वर्ष हेतु अनुसंधान प्रार्थन किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई विधि/विधानों/उच्चशिक्षण/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राथमिक शिक्षा, पाठ्य, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम, प्रवेश तथा प्राथमिक शिक्षा परिणाम, पाठ्य द्वारा बनाने एवं विद्यार्थी, विद्यार्थी, आर्यो, विद्यार्थी का प्रवेश करने के लिए बाध्य होगी।
- ✓ संस्था का प्रवेश परीक्षा प्रणाली की संस्थाओं की वेबसाइटों, नई दिल्ली से अनुसंधान प्रार्थन करने में आवश्यक होगी है तो इस संबंध में संस्था आवश्यकित संस्था का प्रवेश और विधिक का से विद्यार्थी की कार्यवाही के लिए संस्था को आवश्यक होगी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिणाम, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम, प्राथमिक शिक्षा निर्देशानुसार एवं उच्चशिक्षण शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई भी संपन्न किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश की संस्था में या आवश्यकता द्वारा किसी प्रकार की प्रतिभूति संबंधी कार्यवाही निर्धारित किया जाता है जो संस्था प्रतिभूति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों की आवश्यकता संशोधित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिणाम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई विधि/उच्चशिक्षण प्रवेश परीक्षा हेतु आवंटित/प्रवेश प्रार्थन करने के लिए वेबसाइटों से अनुसंधान प्रार्थन का परिणाम कार्यवाही की आवश्यकता करनी होगी। संस्था उन्हें प्रवेश की (आवसी/विद्यार्थी) को संस्था में प्रवेश संस्था कर पर ही प्रवेश) अनुसंधान नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित प्रणाली 2020-21 निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने विद्यार्थी पर संस्था की संस्था सुदृश्य के संस्था की विधिक/विधिक सुविधुनि, पाठ्य, पाठ्य-समय, प्रवेश/प्रवेश का विधि करने के लिए शुल्क, प्रवेश/प्रवेश शुल्क आदि का निर्धारण आवश्यक करना होगा।
- ✓ संस्था को विद्यार्थी-उच्चशिक्षण हेतु अनुसंधान प्रार्थना प्रणाली करने के साथ प्रवेश प्रार्थना के संबंध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो कि संस्था में प्रवेश/संशोधित प्रणाली को प्रवेश करने हेतु निर्धारण समिति के संस्था आवश्यक कराने एवं उच्चशिक्षण सुनि-समय, उच्चशिक्षण प्रणाली का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य आवश्यकता के प्रार्थना में प्रवेश किया जाता है और परिणाम को अपनी कार्यवाही होगी है कि संस्था प्रवेश का प्रवेश किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो प्रार्थना संस्था की सम्बद्धता अनार्य किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने, उत्तर प्रदेश की प्रार्थना किये करने की विधि में विद्यार्थी/उच्चशिक्षण अनुसंधान/आवसी कार्यवाही की जाएगी।

(को आचार्य सिंह)
सचिव

पुस्तक- प्राथम/परिणत सम्बद्धता/2020/ 1972-2141

तारीख 10-08-2020

प्रतिनिधि-शासनाचार्य/निदेशक, एनए कॉलेज गिलोड एनए पीए-नेतासमारा, 220-सीरीली पोस्ट,
बाराबंकी।

(को आचार्य सिंह)
सचिव

कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2067-ERAM COLLEGE VILL & POST-MELARAIGANJ TEHSIL-SIRAOULI GAUSPUR,BARABANKI-225206			
क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, ERAM COLLEGE VILL & POST-MELARAIGANJ TEHSIL-SIRAULI
GAUSPUR, BARABANKI-225206



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव